पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 57)

[8 अप्रैल, 1976]

रांची में पटना उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) अधिनियम, 1976 है ।

2. रांची में पटना उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायपीठ की स्थापना—रांची में पटना उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायपीठ की स्थापना की जाएगी और पटना उच्च न्यायालय के कम से कम तीन ऐसे न्यायाधीश, जिन्हें उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति समय-समय पर नामनिर्देशित करे, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची, पलामू और सिंहभूम जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के सम्बन्ध में उस उच्च न्यायालय में तत्समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए रांची में बैठेंगे :

परंतु उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति स्वविवेकानुसार यह आदेश दे सकता है कि इनमें से किसी जिले में उद्भूत होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग की सुनवाई पटना में होगी ।

———